

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़, (छत्तीसगढ़)

मेयर इन काउंसिल की बैठक दिनांक 27/12/2016 दिन मंगलवार समय 02:00 बजे

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
01	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 07 केवडाबाडी बस स्टैण्ड मुर्गी पसरा का निर्माण। प्रस्ताव का स्थल परीक्षण कर पुनः एम.आई.सी. में रखे जाने हेतु निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	प्रस्ताव तैयार कर अगली बैठक में प्रस्ताव सहित रखे।
02	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 08 केवडाबाडी सब्जी मार्केट के ऊपर प्रथम तल पर हॉल निर्माण पर चर्चा। तकनीकी रूप से निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्णय हुआ था तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	तकनीकी रूप से निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।
03	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 09 महिला समृद्धि बाजार के ऊपर निर्माण पर चर्चा। स्वीकृति प्रदान की गई तथा पूर्ण प्रस्ताव कर प्रस्तुत करने हेतु निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	आर्किटेक्ट के माध्यम से पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
04	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 10 मंगल भवन केवडाबाडी में नव निर्माण ड्राइंग डिजाइन पर विचार संशोधन। आर्किटेक्ट को बुलाकर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	महापौर, सभापति तथा तीन पार्षद के समक्ष बैठकर निर्णय लेकर पुनः प्रस्तुत करे।
05	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 11 शहर में छोटे-छोटे गार्डन निर्माण पर विचार। 1. ट्रांसपोर्ट नगर में पार्क निर्माण का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने तथा 2. जूटमिल तरफ जमीन मांग हेतु स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	अगली बैठक में प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करे।
06	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 12 किन्नर समुदाय के लिये सामुदायिक भवन एवं जमीन आबंटन पर प्रस्ताव। वार्ड नं. 36 में नगर निगम की भूमि (EWS) की भूमि पर प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	अगली बैठक में विस्तृत प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करे।
07.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 17 दीपावली के पूर्व संपूर्ण शहर के सभी मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था। 25 सड़कों का सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर कार्य पूर्ण, अपूर्ण उसकी जानकारी सहित एम.आई.सी. में रखें। चौक-चौक में विद्युत व्यवस्था वर्तमान में किया जावे का निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	सड़क के किनारे-किनारे विद्युत व्यवस्था किये जाने हेतु छ.ग. विद्युत मंडल, कार्यपालन अभियंता रायगढ़ को पत्र लिखे।
08.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 20 मोहररि से सभी पार्षदों को मकान एवं अचल संपत्ति की जानकारी दिये जाने के संबंध में। एम.आई.सी. के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	की गई कार्यवाही से निरंतर समय-समय पर अवगत करावे।
09.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 25 जल विभाग में पम्पों का मरम्मत कार्य, रिवाइडिंग कार्य, चैन पुल्ली तथा फिल्टर प्लांट में स्थापित इन्डक्शन कोटरो का मरम्मत आदि कार्य को शामिल करते हुये रु. 79.217 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है। जिसकी स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय। पूर्ण जानकारी के साथ अगली बैठक में रखने का निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।

10.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 26 जल विभाग में पाईप लाईन विस्तार एवं मरम्मत कार्य हेतु पाईप सामग्री जी.आई. पाईप, ए.सी. पाईप एवं डी.आई पाईप लाईन एवं सामग्री क्रय पर रु. 51.87 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय। पूर्ण जानकारी के साथ अगली बैठक में रखने का निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।
11.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 27 जल विभाग में जल शोधक संयंत्रों के उपयोग आने वाले सामग्री एलम, ब्लीचिंग पावडर, कली चूना क्रय हेतु रु. 31.35 लाख का प्राक्कलन बनाया गया है, जिसकी स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय। मूल नस्ती एवं उपलब्ध स्टॉक, पूर्ण जानकारी के साथ अगली बैठक में रखने हेतु निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।
12.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 28 जल विभाग में पाईप फिटिंग एवं हैण्ड पंप सामग्री जी.आई. फिटिंग, हैण्डपंप सामग्री वर्ष 2016-17 क्रय हेतु रु. 37.13 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय। मूल नस्ती एवं उपलब्ध स्टॉक, पूर्ण जानकारी के साथ अगली बैठक में रखने हेतु निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।
13.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 30 माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रेषित पत्र कार्यालय मुख्यमंत्री निवास से प्राप्त पत्र में कृषि उपज मंडी व ईतवारी बाजार में रिक्त परिसर को सीजन बाजार के उपयोग हेतु सुरक्षित एवं संरक्षित करने के संबंध में मांग किया गया है, जिस पर विचार एवं निर्णय। रथल निरीक्षण पूर्ण जानकारी के साथ आगामी बैठक में रखा जावे का निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	प्रस्ताव स्वीकृत
14.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 32 नगर पालिक निगम की बुजी भवन चौक स्थित दुकान क्र. 29 के किरायेदार श्री जोगिन्दर कौर द्वारा उक्त दुकान के ऊपर में दुकान निर्माण करने की अनुमति हेतु विचार एवं निर्णय। तकनीकी एवं विधिक परीक्षण उपरांत प्रस्तुत करने हेतु निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	विधिक सलाह लेकर अगली बैठक में रखे।
15.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 41 नगर पालिक निगम रागयढ़ के समस्त विभागों पर परिसंपत्ति रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये 261 प्लेसमेंट कर्मचारियों कुशल 166 अर्द्धकुशल 16 अकुशल 79 श्रमिकों को प्लेसमेंट पर कार्य हेतु अनुमानित लागत 252.00 लाख रुपये दिनांक 15.08.2016 को निविदा आमंत्रित किया गया। कुल 05 निविदा प्राप्त हुआ है। जिसमें श्री अशोक शर्मा का न्यूनतम दर 252.00 लाख से 7 प्रतिशत अधिक दर 269.64 रु. प्राप्त हुई है। जिसकी स्वीकृति पर विचार। दिनांक 10.11.2016 को समक्ष में बुलाई जावे का निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	श्री अशोक शर्मा का प्राप्त न्यूनतम दर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है परिषद् में रखा जावे।

16.	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 24.10.2016 की स्थगित बैठक दिनांक दिनांक 04.11.2016 का प्रस्ताव क्रमांक 48 कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छ.ग. रायपुर के संयुक्त सचिव महोदय का पत्र क्र. एफ 08-20/2016/18 नया रायपुर दिनांक 15.06.2016 व्यापार अनुज्ञा शुल्क की दरें पुनरीक्षित करने के संबंध में प्राप्त हुआ है। पत्र में पूर्व से लागू अनुज्ञा शुल्क का नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 133(1) के तहत पुनरीक्षित किये जाने का उल्लेख है। अतएव उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में दिनांक 28.01.2014 को महापौर महोदय द्वारा प्रत्याशा में स्वीकृति शुल्क को एम.आई.सी. में पुष्टि एवं परिषद से स्वीकृत कराये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। अतएव एम.आई.सी. की पुष्टि एवं परिषद की स्वीकृति के लिये निर्देशानुसार सूची तैयार किया गया है। क्रमांक 01 से क्रमांक 108 तक पर विचार एवं निर्णय। पूर्ण जानकारी के साथ अगली बैठक में रखने हेतु निर्णय हुआ था, तदनुसार पुनः प्रस्तुत।	पूर्ण जानकारी के साथ अगली बैठक में रखे।
17	वृहद मात्रा में कचरा उत्पाद करने वाले संस्थान (बल्क जनरेटर्स) के लिए आवश्यक निर्धारण।	1. बल्क जनरेटर्स के द्वारा स्वयं के भूमि/उपलब्ध स्थान पर कम्पोस्टिंग पिट बनाकर ऑन साईट कम्पोस्टिंग कराई जावे। 2. बल्क जनरेटर्स के पास कम्पोस्टिंग हेतु स्थान उपलब्ध नहीं होने की दशा में बल्क जनरेटर्स के द्वारा स्वयं के संसाधन से अपशिष्ट पदार्थ निगम के निर्धारित स्थल पर निपटारा हेतु भेजा जावेगा। 3. निगम के द्वारा ऐसे अपशिष्टों का निपटान हेतु परिवहन की दशा में शासन द्वारा इस हेतु निर्धारित दर से बल्क जनरेटर्स से राशि वसूली किया जावे। परिषद हेतु अनुशंसित।
18	स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 320 प्लेसमेंट श्रमिक एजेंसी निर्धारण के संबंध में।	सबीना कन्स्ट्रक्शन की प्राप्त न्यूनतम दर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। स्वीकृति हेतु परिषद में रखा जावे।
19	स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों/सुपरवाइजर्स को मोबाईल भत्ता दर स्वीकृत विषयक।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।
20	ओ.डी.एफ. घोषित किये जाने के संबंध में।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार वार्ड क्र. 12,14,15,16,17,18,19, 20 एवं 33 को ओ.डी.एफ. वार्ड घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
21	निर्माण/मरम्मत कार्यों से उत्पन्न कचरा (सी एन्ड डी वेस्ट) के संबंध में नीति निर्धारण बाबत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ, नगर पालिक निगम के ट्रैक्टर से प्रति ट्रैक्टर 500 रुपये एवं प्रति आटो 150 रुपये लिया जावे। परिषद हेतु अनुशंसित।

22	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत स्थल जाँच एवं पात्र/अपात्र प्रतिवेदन पश्चात् 71 (इकहत्तर) आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें से 54 (चौब्वन) पात्र एवं 17 (सत्रह) अपात्र पाए गये हैं। अपात्रता में क्रमशः 07 हितग्राही आश्रित सदस्य, 03 हितग्राही निर्धारित उम्र से अधिक उम्र होने, 05 हितग्राही निराश्रित पेंशनधारी, 01 हितग्राही सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण एवं 01 हितग्राही आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी. कार्ड में नाम में अंतर होने के कारण अपात्र है। अतः उपरोक्तानुसार पात्र, अपात्र के निर्णय हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।																															
23	नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों सह गोदाम निर्माण हेतु राशि रु. 73.40 की स्वीकृति प्रदान की गई थी, वर्तमान में कुल राशि रु. 98,59,264=00 का देयक प्रस्तुत हुआ है। अतः अतिरिक्त व्यय राशि रु. 25,19,264=00 अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति पर विचारार्थ प्रस्तुत।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत। अतिरिक्त व्यय राशि रुपये 25,19,264 रुपये का मांग किया जावे।																															
24	नगर पालिक निगम रायगढ़ को अमृत मिशन अंतर्गत वार्ड नं. 27 में शिव मंदिर उद्यान कार्य लागत राशि रु. 39,48,612/- की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।																															
25	नगर पालिक निगम रायगढ़ को अमृत मिशन अंतर्गत वार्ड नं. 39 में बुढ़ी माई मंदिर उद्यान विकास कार्य लागत राशि रु. 42,92,031/- (बियालीस लाख बियानबे हजार इकत्तीस रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।																															
26	नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट हेतु निम्न तालिका में दर्शित अनुसार वाहन एवं उपकरण क्रय करने हेतु लागत राशि रु. 66.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में सूचनार्थ। <table><tr><th>क्र.</th><th>वाहन प्रकार</th><th>संख्या</th><th>राशि</th></tr><tr><td>1</td><td>सक्शन कम जेटिंग मशीन क्षमता 9000 लीटर</td><td>01 नग</td><td>45.00 लाख</td></tr><tr><td>2</td><td>ट्रैक्टर</td><td>02 नग</td><td>11.00 लाख</td></tr><tr><td>3</td><td>वैक्यूम इम्पटीयर/सक्शन मशीन क्षमता 3000 लीटर</td><td>02 नग</td><td>10.00 लाख</td></tr><tr><td></td><td>कुल</td><td>05 नग</td><td>66.00 लाख</td></tr></table>	क्र.	वाहन प्रकार	संख्या	राशि	1	सक्शन कम जेटिंग मशीन क्षमता 9000 लीटर	01 नग	45.00 लाख	2	ट्रैक्टर	02 नग	11.00 लाख	3	वैक्यूम इम्पटीयर/सक्शन मशीन क्षमता 3000 लीटर	02 नग	10.00 लाख		कुल	05 नग	66.00 लाख	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।											
क्र.	वाहन प्रकार	संख्या	राशि																														
1	सक्शन कम जेटिंग मशीन क्षमता 9000 लीटर	01 नग	45.00 लाख																														
2	ट्रैक्टर	02 नग	11.00 लाख																														
3	वैक्यूम इम्पटीयर/सक्शन मशीन क्षमता 3000 लीटर	02 नग	10.00 लाख																														
	कुल	05 नग	66.00 लाख																														
27	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास नया रायपुर के पत्र क्रमांक/या. प्र./swm/10200 नया रायपुर दिनांक 29.12.2016 अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नानुसार वाहन/उपकरण क्रय किया जाना है। <table><tr><th>क्र.</th><th>वाहन प्रकार</th><th>संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>बैकहो लोडर (3D)</td><td>02 नग</td></tr><tr><td>2</td><td>लोडर</td><td>03 नग</td></tr><tr><td>3</td><td>ट्रैक्टर</td><td>03 नग</td></tr><tr><td>4</td><td>डम्पर</td><td>04 नग</td></tr><tr><td>5</td><td>सायकल रिक्शा</td><td>48 नग</td></tr><tr><td></td><td>कुल</td><td>60 नग</td></tr></table> उक्त मशीनरी क्रय हेतु <table><tr><th>क्र.</th><th>राशि</th></tr><tr><td>1</td><td>स्वच्छ भारत मिशन के केंद्रांश से 22.28 लाख</td></tr><tr><td>2</td><td>राज्यांश से 7.43 लाख</td></tr><tr><td>3</td><td>14 वें वित्त आयोग की राशि से 76.14 लाख</td></tr><tr><td></td><td>कुल 105.85 लाख</td></tr></table> की सामग्री/वाहन क्रय की स्वीकृति हेतु विचारार्थ।	क्र.	वाहन प्रकार	संख्या	1	बैकहो लोडर (3D)	02 नग	2	लोडर	03 नग	3	ट्रैक्टर	03 नग	4	डम्पर	04 नग	5	सायकल रिक्शा	48 नग		कुल	60 नग	क्र.	राशि	1	स्वच्छ भारत मिशन के केंद्रांश से 22.28 लाख	2	राज्यांश से 7.43 लाख	3	14 वें वित्त आयोग की राशि से 76.14 लाख		कुल 105.85 लाख	नगर पालिक निगम रायगढ़ में लोडर की आवश्यकता नहीं होने से लोडर की जगह बैकहो लोडर (3D) क्रय करने की स्वीकृत प्रदान की जाती है, शेष कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।
क्र.	वाहन प्रकार	संख्या																															
1	बैकहो लोडर (3D)	02 नग																															
2	लोडर	03 नग																															
3	ट्रैक्टर	03 नग																															
4	डम्पर	04 नग																															
5	सायकल रिक्शा	48 नग																															
	कुल	60 नग																															
क्र.	राशि																																
1	स्वच्छ भारत मिशन के केंद्रांश से 22.28 लाख																																
2	राज्यांश से 7.43 लाख																																
3	14 वें वित्त आयोग की राशि से 76.14 लाख																																
	कुल 105.85 लाख																																

28.	नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत निम्नानुसार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन</td><td>75</td></tr> <tr> <td>2</td><td>इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन</td><td>23</td></tr> <tr> <td>3</td><td>सुखद सहारा पेंशन</td><td>27</td></tr> <tr> <td>4</td><td>सामाजिक सुरक्षा पेंशन</td><td>10</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td>135</td></tr> </table> उक्त संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1276/71/टी.एल./2016/18 नया रायपुर दिनांक 14.12.2016 अनुसार प्राप्त आवेदन का अनुमोदन का अधिकार कार्यालय प्रमुख को दिया जाता है। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन एम.आई.सी. से आगामी बैठक में स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु अवलोकनार्थ।	1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन	75	2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	23	3	सुखद सहारा पेंशन	27	4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	10		कुल	135	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन	75															
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	23															
3	सुखद सहारा पेंशन	27															
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	10															
	कुल	135															
29.	विद्युत मरम्मत सामग्री वर्ष 2017-18 निविदा आमंत्रण एवं 85.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।	कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार स्वीकृत।															
30.	स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की जानकारी महापौर परिषद् को जानकारी देने के संबंध में।	महापौर परिषद् को जानकारी दी गई एवं अवलोकन कराया गया।															

परिषद् लिपिक/एम.आई.सी. सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

महापौर
महापौर
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)